संख्या-65/2023//001-1295-23-12-2023-ईएफ-73-2022

प्रेषक,

शरद सक्सेना,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियनता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनु0-12 **लखनऊ: दिनांक 08 नवम्बर, 2023**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में लो0नि0वि0 मुख्यालय के सभागार में वीडियो कॉफ्रेन्सिंग हेतु (End Point Solutions) की सेवा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्रांक-113/एफ-14/वी0का0/कम्प्यू0/2019-20, दिनांक 26.07.2022 एवं पत्रांक-469/एफ-14/वी0सी0/कम्प्यू0/2022-23, दिनांक 04.07.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लो0नि0वि0 मुख्यालय के सभागार में वीडियो कॉफ्रेन्सिंग हेतु (End Point Solutions) निम्नलिखित कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था:-

Technical Specification and Estimated prices of End point Solution for PWD, Lucknow (Sabhagar Location)										
S.No.	Product	Wty	Qty	Unit Price	Total Price (O+E)	Updesco Centage @ 7% on (F)	Grand Total (F+G)	GST Value	GST @18% on(H)	Total with GST (H+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Codec IX Room System Vedio Conferencing with 12x optical zoom camera, collaboration kit.	1 Year	1	4,79,170.00	4,79,170.00	33,542.00	5,12,712.00	18%	92,288.00	**6,05,000.00**
2	3Way Microphone & Speaker	1 Year	2	41,763.00	83,526.00	5,847.00	89,373.00	18%	16,087.00	1,05,460.00
3	Cable, connector and installation		3	50,000.00	50.00	3,500.00	53,500.00	18%	9,630.00	**63,130.00**
									Grand Total	**7,73,590.00**

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त तालिका के क्रम सं0-2 पर उल्लिखित कार्य (3Way Microphone & Speaker) हेतु अंकित धनराशि रू0 1,05,460.00 का वर्तमान में औचित्य न पाये जाने के दृष्टिगत **शेष 02 अन्य कार्यों (तालिका के क्रम सं0-1 व 3) हेतु क्रमशः प्रस्तावित रू0 6,05,000.00 व रू0 63,130.00 अर्थात कुल धनराशि रू0 6,68,130.00 (रुपये छः लाख अड़सठ हजार एक सौ तीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के** अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उपर्युक्त कार्य पर स्वीकृति इस उपबंध के साथ प्रदान की जाती है कि क्रय सभी अद्यतन लागू वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जाय।

(2) प्रश्नगत क्रय सामग्री क्रय नियमों के अनुसार एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्य म उद्यम अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 23.08.2017 एवं शासनादेशम सं0-1/2018/868/18-2-2017-2(एव0पी0/2017, दिनांक 15.01.2018 तथा आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के संगत शासनादेशों तथा अन्य् समस्त आदेश/प्रक्रिया के अनुसार यथानियम अपेक्षित सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चावत ही किया जायेगा।

(3) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 तथा सपठित कार्यालय ज्ञाप सं0-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19.09.2023 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) इस सम्बन्ध में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग,उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत अद्यतन शासनादेशों में निर्धारित प्रक्रिया एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) सामग्रियों की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की होगी तथा सामग्रियों एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जाय।

(7) प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/ मद पर व्यय प्रत्येक दशा में की जायेगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी कार्य योजना में सम्मिलित है।

(9) प्रश्नगत धनराशि का व्यय वर्तमान में प्रवर्तित समस्त नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जाय।

(10) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त् न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी।

(11) स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण रूप से किये जाने का प्रमाण पत्र यथासमय उपलब्ध कराया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,68,130 (रुपये छः लाख अड़सठ हजार एक सौ तीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054808000500 सूचना प्रौद्योगिकी के प्रबंधन एवं नियोजन के कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-8-807-एक्स-2023-24, दिनांक- 27.10.2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

भवदीय,
(शरद सक्सेना)
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-65/2023/ /001-1295(1)-23-12-2023-ईएफ-73-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपलोड कराने का कष्टॉ करें।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- अधीक्षण अभियन्ता , आई0डी0एस0वृत्ति, लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
8- अधिशासी अभियन्ता कम्प्यूटर सेल, लोक,निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
10- वित्त (व्यूय नियन्त्रण) अनुभाग-8/सूक्ष्मप, लघु एवं मध्यगम उद्यम एवं निर्माण/ प्रोत्साहन अनु0-2
11- आयुक्त एवं निदेशक (सामग्री क्रय अनुभाग), उ0प्र0 कानपुर।
12- लोक निर्माण अनु0-10
13- डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शरद सक्सेना)
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।